

बिहार सरकार

गृह विभाग।

## शुद्धि पत्र

पटना, दिनांक 01 अप्रैल, 2013

गृह विभागीय अधिसूचना संख्या—2379, दिनांक 25.03.2013 में “श्रीमती के०एस० अनुपम” के स्थान पर “श्री के०एस० अनुपम” टंकित हो गया है।

अतः शुद्ध रूप में “श्रीमती के०एस० अनुपम” पढ़ा एवं समझा जाय।

अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या 1/पी०1-10-13/2007 खण्ड-9 गृ०आ० 2502 /पटना, दिनांक 01 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (वेबसाइट : [www.home.bih.nic.in](http://www.home.bih.nic.in))।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या 1/पी०1-10-13/2007 खण्ड-9 गृ०आ० 2502 /पटना, दिनांक 01 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या 1/पी०1-10-13/2007 खण्ड-9 गृ०आ० 2502 /पटना, दिनांक 01 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपि :— अवर सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/प्रधान सचिव, राज्यपाल, राजभवन, पटना/मुख्य मंत्री के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/सभी अपर पुलिस महानिदेशक/सभी पुलिस महानिरीक्षक प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी पुलिस उप—महानिरीक्षक क्षेत्र एवं मुख्यालय/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस एवं गृह रक्षा वाहिनी/श्रीमती के०एस० अनुपम, भा०पु०स० (98) पुलिस उप—महानिरीक्षक, रेल, बिहार, पटना/आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को (वेबसाइट: [www.home.bih.nic.in](http://www.home.bih.nic.in)) पर दर्शाने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी—1 एवं 5 गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
14/13  
सरकार के संयुक्त सचिव